न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान, आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
5/अपील/16	02.02.2016	20.10.2021

1. श्री प्रभुलाल आ0 हरनाथ जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. श्री छीतर लाल आ0 हरनाथ जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से – श्री कैलाशचन्द नामघराणी एड0

रेस्पो0 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2016 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्टस को भूमि खसरा सं. 663 रकबा 6 बीस्वा किस्म गै0मु0 बरड़ा ग्राम विजयगढ का अतिचारी मानते हुए बेदखली, 30 रू. शास्ति तथा 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्टस की विधिवत् तामील नहीं हुई है। सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। बिना किसी साक्ष्य के अपीलान्टस को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्टस का किसी भी राजस्व भूमि पर अतिक्रमण नहीं हैं। शिकायतकर्ता अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर जबरन ग्रेवल रोड बनाना चाहता हैं। अपीलार्थीगण ने रास्ते की किसी भी भूमि पर कोई अतिकमण नहीं किया हैं। अपीलार्थीगण को दोषी करार दिये जाने से पूर्व में न तो जवाब लिया गया हैं और न ही अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हैं। अपीलाधीन आदेश दोषपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने सिवायचक भूमि पर अतिचार किया है। वह बार–बार अतिचार करने का आदि है,जिसे पूर्व में बेदखल किया जा चुका था। अपीलार्थीगण को विधिवत् नोटिस जारी किया जाकर अपीलाधीन

अति0 जिला कलक्टर

A 6/12

किया गया है,जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा सं. 663 रकबा 6 बीस्वा किस्म गै0मु0 बरड़ा पर अतिचार किया जाना प्रमाणित है। बयान पटवारी हल्का के अनुसार अपीलान्टस द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिचार किया था,जिसको बेदखल कर दिया गया था। अपीलान्ट बार–बार भूमि पर अतिचार करने का आदि है,किन्तु फिर भी अपीलान्ट के प्रति न्यायहित को दृष्टिगत रखकर नरमी का रूख अपनाते हुए आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे तथा भूमि पर से कब्जा छोड़ दे तो अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित सिविल सजा का आदेश निरस्त रखा जावें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भेजी जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर कराई जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी